291

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सृजित प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 5000–8000 (संशोधित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–4200) के रिक्त पदों पर पदोन्नति चयन समिति की बैठक दिनांक 24–03–2012 की कार्यवाहीः–

आज दिनांक 24–03–2012 को सम्भागीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 5000–8000 (संशोधित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–4200) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

1–	श्री आर0सी0 पाठक, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2–	श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
3–	श्रीमती सुनीता सिंह, प्र0 उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
4–	श्री दिनेश चन्द पठोई, सहा0 स0प0अ0(प्रशा0), देहरादून	सदस्य

2– चयन समिति द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत की गयी नैत्यिक टिप्पणी, रोस्टर विवरण, सेवा विवरण, सर्तकता एवं चरित्र पंजिकाओं सम्बन्धी अभिलेखों का अवलोकन किया गया। परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए शासनादेश सं0–114/ix/543/10/2011 दिनांक 25–04–2011 के अन्तर्गत सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के कुल 39 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान में 14 कार्मिक कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में सम्भागीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 25 पद रिक्त हैं।

3– कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–170/XXX(2)/2011 दिनांक 01–06–2011 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर **पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011** प्रख्यापित की गयी है। सम्बन्धित नियमावली के **नियम 4** के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण किया गया है। नियम 4 (2) के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी हैः–

"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया गया है।"

4— उक्त नियमावली में दी गई व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु शिथिलीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या—322/अधिष्ठान/दो—125/2011 दिनांक 01—10—2011 द्वारा शासन को प्रेषित् किया गया था। इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—64/ix/336/2012 दिनांक 03—02—2012 द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि में 50 प्रतिशत् की शिथिलता प्रतिबन्धों सहित प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार प्रस्ताव में अंकित प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु अर्ह कार्मिकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में शिथिलता का लाभ प्रथम बार दिया जा रहा है।

5— उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 2004 के नियम—5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के स्थायी मुख्य सहायकों की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नियम—5 (3) (ख) में दी गई व्यवस्था के अनुसार परिवहन कर अधिकारी—2 के पद पर किये जाने का प्रावधान है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या—3042/अधिष्ठान/दो—125/2011 दिनांक 20—09—2011 के माध्यम से वर्तमान में सम्भागीय संवर्ग के मुख्य सहायक के पदों पर कार्यरत सम्बन्धित कार्मिकों से प्रशासनिक अधिकारी/परिवहन कर अधिकारी—2 के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प मॉगे गये थे। सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का श्रेणीवार पृथक—पृथक विवरण निम्नवत् है:—

(1)प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्पों का विवरण:—

(1) अनुसूचित जाति के कार्मिकों का विवरण:—

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	रोस्टर का कमांक	इच्छित विकल्प
1	श्री विजयपाल	16	प्रशासनिक अधिकारी
2	श्री मोहनलाल	21	प्रशासनिक अधिकारी

(2) अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों का विवरण:—

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	रोस्टर का कमांक	इच्छित विकल्प
1	श्रीमती मंगनी हयांकी	24	प्रशासनिक अधिकारी

(3) अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों का विवरणः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	रोस्टर का कमांक	इच्छित विकल्प
1	श्री सईद अहमद	30	प्रशासनिक अधिकारी
2	श्रीमती सुषमा चौधरी	32	प्रशासनिक अधिकारी
3	श्रीमती संध्या मिश्रा	33	प्रशासनिक अधिकारी
4	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	34	प्रशासनिक अधिकारी
5	श्री रतन सिंह गुरूंग	35	प्रशासनिक अधिकारी
6	श्री विनोद भट्ट	37	प्रशासनिक अधिकारी
7	श्री दिलवर सिंह गुसाईं	38	प्रशासनिक अधिकारी
8	श्रीमती शान्ति पाण्डेय	39	प्रशासनिक अधिकारी
9	श्रीमती रूक्शाना शम्सी	40	प्रशासनिक अधिकारी
10	श्री मनोज नेगी	43	प्रशासनिक अधिकारी
11	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला	44	प्रशासनिक अधिकारी
12	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	45	प्रशासनिक अधिकारी
13	श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण	47	प्रशासनिक अधिकारी
14	श्री संजीव कुमार मिश्रा	49	प्रशासनिक अधिकारी
15	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	50	प्रशासनिक अधिकारी
16	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत	52	प्रशासनिक अधिकारी
17	श्री कृपाल दत्त जोशी	53	प्रशासनिक अधिकारी
18	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल	54	प्रशासनिक अधिकारी

(2) परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्पों का विवरणः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	श्रेणी
1	श्री पान सिंह	सामान्य
2	श्री सुरेश चन्द्र बछेटी	सामान्य
3	श्री हरीश चन्द्र भद्री	सामान्य
4	श्री किशन सिंह नेगी	सामान्य
5	श्री मनोज पाठक	सामान्य
6	श्री रूपेश गढ़वाली	सामान्य
7	श्री श्याम सिंह लटवाल	सामान्य
8	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	सामान्य
9	श्री रेशम सिंह	अनुसूचित जाति
10	श्री कृष्ण किशोर	अनुसूचित जाति
11	श्री विजय सिंह गुसाईं	सामान्य
12	श्री परमानन्द जखवाल	सामान्य

6– चूँकि संगत सेवा नियमावली में विहित व्यवस्थानुसार परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प प्रस्तुत करने वाले उक्त 12 कार्मिकों द्वारा मुख्य सहायक के पद पर न्यूनतम विहित सेवा 05 वर्ष पूर्ण नहीं की गई है और न ही संगत

नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार पदोन्नति हेतु विहित सेवा अवधि 50 प्रतिशत् अर्थात 2.5 वर्ष पूर्ण न होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों की पदोन्नति परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शिथिलता सम्बन्धी निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिकों को शिथिलता का लाभ प्रदान किये जाने का प्रस्ताव यथासमय शासन को प्रेषित् किया जाय। शासन से शिथिलता प्राप्त हो जाने के उपरान्त इन कार्मिकों को परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर पदोन्नति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

7– इस प्रकार सम्भागीय संवर्ग के निम्नलिखित मुख्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता पूर्ण करते हैं:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	श्रेणी
1	श्री सईद अहमद	सामान्य
2	श्रीमती सुषमा चौधरी	सामान्य
3	श्रीमती संध्या मिश्रा	सामान्य
4	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	सामान्य
5	श्रीमती मंगनी हयांकी	**अनु0जनजाति**
6	श्री रतन सिंह गुरुंग	सामान्य
7	श्री विनोद भट्ट	सामान्य
8	श्री दिलवर सिंह गुसाईं	सामान्य
9	श्रीमती शान्ति पाण्डेय	सामान्य
10	श्रीमती रूक्शाना शम्सी	सामान्य
11	श्री मनोज नेगी	सामान्य
12	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला	सामान्य
13	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	सामान्य
14	श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण	सामान्य
15	श्री संजीव कुमार मिश्रा	सामान्य
16	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	सामान्य
17	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत	सामान्य
18	श्री कृपाल दत्त जोशी	सामान्य
19	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल	सामान्य
20	श्री विजयपाल	**अनुसूचित जाति**
21	श्री मोहनलाल	**अनुसूचित जाति**

8– शासनादेश संख्या–1455 / कार्मिक–2 / 2001 दिनांक 31–08–2001 के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है:–

रोस्टर क्रमांक	सामान्य श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	आरक्षित श्रेणी
30	श्री सईद अहमद	16	श्री विजयपाल (अनु0 जाति)
32	श्रीमती सुषमा चौधरी	21	श्री मोहनलाल(अनु0 जाति)
33	श्रीमती संध्या मिश्रा	24	श्रीमती मंगनी हयांकी(अनु0ज0जा0)
34	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	26	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं (अनु0जाति)
35	श्री रतन सिंह गुरूंग	31	–तदैव–(अनु0 जाति)
37	श्री विनोद भट्ट	36	–तदैव–(अनु0 जाति)
38	श्री दिलवर सिंह गुसाईं	41	–तदैव–(अनु0 जाति)
39	श्रीमती शान्ति पाण्डेय	46	–तदैव–(अनु0 जाति)
40	श्रीमती रूक्शाना शम्सी	48	–तदैव–(अनु0 जनजाति)
43	श्री मनोज नेगी	51	–तदैव–(अनु0 जाति)
44	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला		
45	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट		
47	श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण		
49	श्री संजीव कुमार मिश्रा		
50	श्री देवेन्द्र सिंह रावत		
52	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत		
53	श्री कृपाल दत्त जोशी		
54	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल		

9– इस प्रकार रोस्टर के अनुसार क्रमांक–16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 एवं 51 पर अनुसूचित जाति, क्रमांक–24 एवं 48 पर अनुसूचित जनजाति तथा क्रमांक–30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53 एवं 54 पर अनारक्षित श्रेणी के बनते हैं। पात्रता श्रेणी में आने वाले कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियाँ सन्तोषजनक हैं तथा उनके विरूद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं है।

10– कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना संख्या–479/xxx(2)/2009–03 (1)/2007 दिनांक 08–07–2009 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विषयक कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–169/कार्मिक–2 दिनांक 16–04–2003 को अधिकमित करते हुए उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड) नियमावली, 2004 के परिप्रेक्ष्य में, पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना संख्या–479/xxx(2)/2009–03(1)/2007 दिनांक 08–07–2009 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त

ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के लिए नियम–3 के उप नियम 2, 3 एवं 4 में निम्न प्राविधान किया गया है:–

(2) इस प्रक्रिया हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की प्रोन्नति के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की अद्यतन 10 वर्ष की उपलब्ध प्रविष्टियॉ देखी जायेंगी और यदि 10 वर्षों से कम की प्रविष्टियॉ ही उपलब्ध हों तो सभी प्रविष्टियॉ देखी जायेंगी।

(3) यदि पात्रता क्षेत्र में शामिल अभ्यर्थी की विगत् 10 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों में 05 या अधिक चरित्र प्रविष्टियों को उत्तम या उच्चतर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो तथा विचारण के ठीक 02 वर्ष पूर्व की प्रविष्टियॉ प्रतिकूल न हों तो ऐसे अभ्यर्थी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त घोषित किया जायेगा।

(4) यदि किसी वर्ष वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अथवा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होती है तो जिस वर्ष ऐसी प्रविष्टि अंकित की गयी है, उस वर्ष से 05 वर्ष तक ऐसे अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं समझा जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत् अवगत् कराना है कि श्रीमती लक्ष्मी कश्यप, मुख्य सहायक के मामले में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा वर्ष 2010–11 में **श्रेणी असन्तोषजनक प्रविष्टि** अंकित की गई है, जिसके विरूद्ध सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उक्त प्रविष्टि को विलोपित करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त क्रम में कार्यालयादेश संख्या–2025/अधिष्ठान/सीआर/2010–11 दिनांक 20–06–2011 के माध्यम से प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टि को निरस्त किया गया है।

2– श्री जगदीश प्रसाद गैरोला, मुख्य सहायक को वर्ष 2005–06 में वार्षिक प्रविष्टि **'निम्न'** श्रेणी प्रदान करते हुए सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत् कराना है कि श्री जगदीश प्रसाद गैरोला की वर्ष 2009 में प्रवर सहायक से मुख्य सहायक के पद पर प्रोन्नति की गई है, जिसमें चयन समिति द्वारा विगत् 05 वर्ष की चरित्र प्रविष्टियों का संज्ञान लिया गया था। जहॉ तक प्रविष्टि **'निम्न'** श्रेणी का प्रश्न है? इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक को न तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा एवं न ही स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्रविष्टि के सम्बन्ध में संसूचित करने सम्बन्धी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है। सम्भवतः स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने पर सम्बन्धित कार्मिक को संसूचित नहीं किया गया होगा।

अतः सम्बन्धित कार्मिक की वर्ष 2005–06 की प्रश्नगत् वार्षिक प्रविष्टि पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के लिए संगत नियमावली के नियम–3 के उप नियम (4) के अन्तर्गत लागू नहीं होता है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त जिन कार्मिकों द्वारा मुख्य सहायक के पद से परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं, को छोड़कर शेष निम्नलिखित मुख्य सहायकों की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद किये जाने की संस्तुति की जाती है:–

285

क्र0 सं0.	कार्मिक का नाम	श्रेणी	क्र0सं0	कार्मिक का नाम	श्रेणी
1	श्री सईद अहमद	सामान्य	12	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला	सामान्य
2	श्रीमती सुषमा चौधरी	सामान्य	13	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	सामान्य
3	श्रीमती संध्या मिश्रा	सामान्य	14	श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण	सामान्य
4	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	सामान्य	15	श्री संजीव मिश्रा	सामान्य
5	श्रीमती मंगनी हयांकी	अनु0ज0जा0	16	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	सामान्य
6	श्री रतन सिंह गुरूंग	सामान्य	17	श्री चन्द्रमोहन सिंह रावत	सामान्य
7	श्री विनोद भट्ट	सामान्य	18	श्री कृपाल दत्त जोशी	सामान्य
8	श्री दिलवर सिंह गुसाईं	सामान्य	19	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल	सामान्य
9	श्रीमती शान्ति पाण्डेय	सामान्य	20	श्री विजयपाल	अनु0 जाति
10	श्रीमती रूक्शाना शम्सी	सामान्य	21	श्री मोहनलाल	अनु0 जाति
11	श्री मनोज नेगी	सामान्य			

चूँकि रोस्टर के क्रमांक–31, 36, 41, 46, 51 पर अनुसूचित जाति एवं क्रमांक–48 पर अनुसूचित जनजाति का कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है। अतः सम्बन्धित पदों को रिक्त रखते हुए रिक्ति को अग्रेणीत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता के आधार पर रोस्टर के क्रमांक–42 पर अंकित कार्मिक श्री यतिन तिवारी, प्रवर सहायक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान होने के कारण प्रवर सहायक से मुख्य सहायक के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी लिफाफा पूर्व में ही बन्द होने के कारण यह पद भविष्य के लिए रिक्त रखा जाता है।

24/3/12

(डी0सी0 पपाई)
सदस्य।

(सुनीता सिंह) 24.03.12
सदस्य।

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सदस्य।

(आर0सी0 पाठक)
अध्यक्ष।